(12) · 16

पत्र संख्या–11/आ०नी०–I–03/2019 सा.प्र..12123

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना–15, दिनांक–...23.06.2023

विषय :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण प्रदान करने हेतु दिशा–निदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) आरक्षण अधिनियम–2/2019 के अधीन अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधान किये गए हैं तथा इसके नियम–2(ञ) में परिवार की परिभाषा भी स्पष्ट की गयी है। इसके बावजूद विभिन्न स्त्रोतों से इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट करने हेतु पृच्छाएँ एवं जिज्ञासाएँ व्यक्त की जा रही हैं।

अतएव सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 द्वारा निर्गत संदर्भित नियमावली के नियम–9 में निहित प्रावधान के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सुविधा के उद्देश्य से निम्नांकित दिशा–निदेश परिचारित किये जा रहे हैं :–

(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम–15/2003 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा।

FILE PATNA/DEWA/LETTER

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के उद्देश्य से "परिवार" में सम्मिलित है अभ्यर्थी के माता–पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन तथा पति–पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संताने।

(iii) विवाहित पुरूष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निमित्त आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगा, जिसमें पुरूष अभ्यर्थी एव पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु की संताने सम्मिलित होंगी। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास स्थान (अंचल) से निर्गत होगा, जिसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा।

(iv) विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं।

(v) अविवाहित महिला एवं अविवाहित पुरूष के मामले में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उनके पिता के मूल निवास (अंचल) से निर्गत होगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी पिता के मूल निवास (अंचल) से निर्गत होगा।

(vi) राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वैसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जो राज्य सरकार के अंतर्गत वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधानित आरक्षण से आच्छादित नहीं हों।

(vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु अभ्यर्थी के परिवार की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय में आवेदन करने के पूववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि समस्त स्त्रोतों से होने वाली आयों को इसके प्रयोजनार्थ परिगणित किया जाएगा।

(viii) आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

उपर्युक्त के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि एतद् संबंधी मार्गदर्शन से अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

23/06/2023.

(रजनीश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

FILE PATH:C/DIWA/LETTER

ज्ञापांक–11/आ० नी०–I–03/2019 सा.प्र. 12123 पटना–15, दिनांक– 23·06·2023

प्रतिलिपि–उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/सभी विश्वविद्यालय/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/सदस्य, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/06/2023

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/आ० नी०–I–03/2019 सा.प्र. 12123 पटना–15, दिनांक– 23·06·2023

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

23/06/2023

सरकार के उप सचिव।

FILE PATH:C/DIWA/LETTER